मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम
''पर्यटन भवन'' भदभदा रोड,
भोपाल–462003
फोनः 0755–4027100/180, फैक्सः 0755–2774289

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल को दस वर्षो के लिए किराये से दिये जाने हेतु निविदाएँ

क्रमांकः 6837 **दिनांकः 08.07.2015**

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई **रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल को किराये पर दिये जाने हेतु निविदाएं** आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति/संस्थाऐं निविदा प्रपत्र एवं नियम शर्ते निगम की वेबसाइट **www.mpstdc.com** से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा शुल्क (प्रति निविदा) रुपये 2,000/– का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना होगा। निविदा ''पर्यटन भवन'' भोपाल के स्वागत कक्ष पर रखे सीलबन्द टेण्डर बॉक्स में **दिनांक 28.07.2015 (अपरान्ह 3:00 बजे)** तक जमा की जा सकती हैं, **तकनीकी निविदा दिनांक 28.07.2015** उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष **अपरान्ह 3:30 बजे खोली जावेगी।**

प्रबंध निदेशक

:

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल को 10 वर्षों के लिए निर्धारित शर्तों के प्रबंध की अनुबंध पर संचालन करने हेतु दो लिफाफा पद्धति से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई **रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल जिसके अंदर 6 दुकानें निर्मित हैं ओपन एरिया दो सेड, कामन टायलेट (महिला/पुरूष) तथा भुगतान काउंटर निर्मित है पानी की सुविधा हेतु बोर बेल है एक सेम्पबेल भी निर्मित है** को किराये पर दिये जाने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। जिसका क्षेत्रफल लगभग 1724 वर्ग मीटर है जिसका अवलोकन स्थान पर जाकर किया जा सकता है संशय होने पर दूरभाष क्रमांक 07554027148 पर श्री एन.के. स्वर्णकार, वरिष्ठ प्रबंधक तथा भोपाल के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री अजीत भास्कर से 09424796750 कार्यालयीन समय पर संपर्क कर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं।

फूड कोर्ट का विवरण :—

फूड कोर्ट का कुल क्षेत्रफल : 1724 वर्ग मीटर

खुला हुआ क्षेत्रफल : 1499 वर्ग मीटर

निर्मित क्षेत्रफल : 194 वर्ग मीटर

निर्मित दुकानों की संख्या : 6

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में उपलब्ध सुविधाऐं :—

1. वाशरूम 2. स्टेन्डिग टेबल 12 3. बैंच 30 4. काफी टेबल (कास्ट आयरन) 6 5. (कास्ट आयरन) चेयर 24

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में निम्न खाद्य पदार्थ सर्व (उपलब्ध) कराये जा सकेंगे :—

सभी प्रकार के अधिमान्य खाद्य पदार्थ तैयार कर सर्व किए जा सकेगें।

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में प्रतिबंधित सेवायें :—

एल्कोहल, ड्रग आईटम फूड कोर्ट में बिक्री से प्रतिबंधित हैं।

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में निगम के आधिपत्य में निम्न स्थान होंगें :—

ए.टी.एम. काउन्टर व पर्यटन निगम का सूचना केन्द्र।

निविदा प्रक्रिया की शर्ते :—

1. (अ) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के मूल्य की राशि 2000/— का ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना है, जो वापसी योग्य नही होगा।
   (ब) निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ 1.00 (एक लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना होगा। निविदा खुलने के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष निविदाकर्ता का ड्राफ्ट एक माह के अन्दर निविदा प्रपत्र में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक से वापिस कर दिया जावेगा।
2. उक्त दोनों ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाये जा सकते है, ड्राफ्ट ''मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल'' के पक्ष में देय होगा।
3. सफल प्रथम निविदाकर्ता को 15 दिवस के अन्दर अनुबंध निष्पादित करना होगा अन्यथा उनका अधिकार समाप्त कर दिया जावेगा, तथा सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
4. यदि प्रथम निविदाकर्ता द्वारा 15 दिवस कि समय सीमा में अनुबंध निष्पादित करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, तो द्वितीय सफल निविदाकर्ता को समय दिया जावेगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा) समस्त दस्तावेजों सहित एक लिफाफे में रखकर सील बन्द किया जावेगा तथा लिफाफे पर ''तकनीकी निविदा प्रपत्र'' अंकित किया जावे जिसके अंदर दोनों डी.डी. (फीस तथा ई.एम.डी.)। दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रपत्र रखा जाकर सील बन्द किया जावे तथा लिफाफे पर ''वित्तीय निविदा प्रपत्र'' अंकित किया जावे। उक्त दोनों लिफाफो को एक बड़े लिफाफे में रखकर बडे लिफाफे पर रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल की निविदा लिख कर प्रबंध संचालक म0प्र0 पर्यटन विकास निगम पर्यटन भवन, भदभदा रोड को सम्बोधित करे। सील बन्द किया जाकर जमा किया जावे। सभी लिफाफों पर निविदाकर्ता का नाम एवं पता प्रेषक के रुप में लिखे।
6. निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना हैः—
   (1) सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक (प्रमाण पत्र सहित) ....
   (2) आयकर विभाग का पेन क्रमांक (प्रमाण पत्र सहित) ....

:

7. विगत तीन वर्षो (2012–13, 2013–14 एवं 2014–2015) की Balance sheet अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। विगत तीन वर्षो संबधित गतिविधियों का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख या इससे अधिक होना चाहिए। टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

अथवा

निविदाकर्ता को न्यूनतम दस वर्ष का हास्पिटालिटी/पर्यटन व्यवसाय के संचालन का अनुभव।

8. सफल निविदाकर्ता को निगम की शर्तो के अनुसार 1000/– के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
9. प्राप्त निविदा पत्रों को मान्य/अमान्य करने एवं निविदाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगने का सम्पूर्ण अधिकार निगम के प्रबंध संचालक महोदय को होगा।
10. मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाई रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का अवलोकन इकाई में किया जा सकता है।
11. बिना धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क के प्राप्त निविदा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

:

<u>नियम व शर्तेः–</u>

1. रेनबोट्रीट फूड कोड शाहपुरा भोपाल 10 वर्ष की अवधि के लिये किराये से प्रबंध के अनुबंध पर संचालन करने हेतु दिया जाना है।
2. प्रथम वर्ष के पश्चात 10% की वृद्धि की जावेगी, जो कि वर्ष समाप्त होने के एक माह पूर्व एक मुश्त अग्रिम जमा करनी होगी। यही शर्त तृतीय, चतुर्थ, पंचम अन्य वर्षो के लिये भी लागू होगी।
3. उपरोक्त किराये का अभिप्राय लीज नही है ।
4. सफल निविदाकर्ता को निविदा में भरी गई प्रथम वर्ष के किराये की वार्षिक राशि एवं सर्विस टैक्स (प्रचलित दर से) अनुबंध के समय एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा।
5. सर्विस टैक्स की राशि का भुगतान न करने पर निविदा अमान्य होगी। वार्षिक किराये की राशि के साथ सर्विस टेक्स की राशि जमा न करने पर वार्षिक किराये की राशि में से सर्वप्रथम सर्विस टैक्स की राशि समायोजित की जावेगी।
6. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठवी, सातवी, आठवी, नौवी तथा दसवी वर्ष का अग्रिम किराये का सर्विस टैक्स की राशि के साथ अग्रिम भुगतान न करने पर निगम को रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल खाली कराकर अधिपत्य लेने का अधिकार रहेगा एवं ऐसी दशा में यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा कोई अग्रिम बुकिंग की जाती है, तो उसके हर्जाने के लिए सफल निविदाकर्ता स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
7. रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में किसी भी प्रकार के अस्थाई/आंशिक परिवर्तन के पूर्व म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
8. रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल के उपयोग पर यदि किसी प्रकार का कर म.प्र. शासन अथवा नगर पालिक निगम द्वारा लगाये जाते है, तो उसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा निम्नानुसार अग्रिम किराये के पोस्ट डेटेड चेक अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा (**द** में दर्शाए गए अनुसार) जो कि अनुबंध की शर्त के अनुसार प्रत्येक वर्ष के एक माह पूर्व की तिथी के पोस्ट डेटेड चैक जमा करने होगें :–

किराया अवधि	अ	ब	स	द (अ ब स का योग)
द्वितीय वर्ष का किराया	प्रथम वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
तृतीय वर्ष का किराया	द्वितीय वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
चतुर्थ वर्ष का किराया	तृतीय वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
पंचम वर्ष का किराया	चतुर्थ वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
छठवे वर्ष का किराया	पंचम वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
सातवे वर्ष का किराया	छठवे वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
आठवा वर्ष का किराया	सातवे वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
नौवी वर्ष का किराया	आठवा वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल
दसवी वर्ष का किराया	नौवी वर्ष का किराया	10 प्रतिशत की वृद्धि	सर्विस टैक्स	कुल

10. सफल निविदा कर्ता को अंतिम वर्ष के किराये के बराबर बैंक गारंटी म.प्र. राज्य विकास निगम के पक्ष में देना होगी जिसकी वैधता अनुबंध दिनांक से 11 वर्षों के लिए वैध होगी।
11. निर्धारित अवधि के अंतर्गत रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल की रिपेयर्स एवं मेनटीनेंस (मुख्यतः घास, पेड–पौधे तथा हार्टीकल्चर) हाउस किपिंग किरायेदार द्वारा किया जावेगा, यदि आवश्यकता होने पर किरायेदार द्वारा रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का रिपेयर मिन्टीनेस नहीं किया जाता है तो म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम, किरायेदार की प्रतिभूति राशि में से काट कर रख–रखाव एवं मेनटीनेंस आदि का कार्य कराने के लिये स्वतंत्र होगा।

:

12. किरायेदार द्वारा रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल की साफ–सफाई स्वयं के व्यय पर करानी होगी।
13. यदि किरायेदार द्वारा होटल के प्रांगण में किसी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई जाती है तो उसकी भरपाई के लिये किरायेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. किरायेदार को म.प्र.शासन द्वारा स्थापित शॉप एण्ड एस्टेवलिशमेंट(स्थापना) एक्ट का पालन करना होगा।
15. किरायेदार द्वारा रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में संचालित गतिविधियों से संबंधित शिकायत–पुस्तिका स्थल पर रखेगा जिसमें रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का उपयोग करने वाले कस्टूमर्स अपने रिमार्क अंकित कर सकेगें।
16. किरायेदार द्वारा किसी भी दशा में रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल को किसी दूसरी संस्था के साथ हिस्सेदारी (सबलेटिंग) नही करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा।
18. किरायेदार म.प्र. शासन द्वारा स्थापित श्रम नियमों का आवश्यक रूप से पालन करेगा।
19. किरायेदार रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में सर्विस हेतु जिन कर्मचारियों को रखेगा वे अच्छे चरित्र वाले एवं ग्राहक के साथ कुशल व्यवहार वाले होने आवश्यक होंगे। किरायेदार द्वारा कर्मचारियों की सूची क्षेत्रीय प्रबंधक को सौंपनी होगी। सूची के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मचारियों रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में सर्विस हेतु प्रवेश नहीं करेगा।
20. किरायेदार द्वारा रखे गये कर्मचारी किसी भी दशा में रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल के किसी भी अतिथि के साथ दुर्व्यवहार नही करेगा। इसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता पर होगा।
21. किरायेदार को म.प्र. विद्युत बोर्ड से रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में विद्युत के उपयोग हेतु अलग से विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
22. रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में की जाने वाली पार्टीयों अथवा किसी भी प्रकार के आयोजन के लिये जल प्रदाय नही किया जावेगा। अतः किरायेदार को पेयजल अथवा अन्य उपयोग के लिये जल की स्वयं व्यवस्था करनी पढ़ेगी। निगम की ओर से बोर बेल में निगम की मोटर है सफल निविदा कर्ता को स्वयं की मोटर का उपयोग बोर बेल में करना होगा।
23. किरायेदार अथवा उसका कर्मचारी किसी भी दशा में रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल की जल निकासी, ड्रेनेज आदि में रूकावट डालकर वाधित नही करेगे। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो ड्रेनेज सिस्टम की साफ–सफाई का व्यय किरायेदार को देना होगा।
24. किरायेदार को रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल के भीतर अग्नि सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध करने होगे। आवश्यक अग्नि शमन यंत्रो का प्रबंध करना होगा एवम् न्यूडवायर्स तथा लूज विद्युत कनेक्शन पर कडाई से रोक लगानी होगी अन्यथा दुर्घटना के लिये किरायेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायो का कभी भी होटल प्रबंधन द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।
25. किरायेदार रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल में ज्वलनशील पदार्थो का न तो स्टोर करेगा ओर ना ही उनका उपयोग करेगा। आतिशबाजी आदि की अनुमति रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल प्रांगण में नही होगी।
26. किरायेदार के कर्मचारियों को अग्नि शमन यंत्रो के संचालन की जानकारी होनी आवश्यक होगी।
27. किरायेदार द्वारा आयोजित की जाने वाली पार्टी एवम् आयोजन की सुरक्षा एवम् पार्किंग स्थल की निगरानी के लिये सुरक्षा गार्ड का प्रबंध स्वयं करना होगा।
28. सफल निविदाकर्ता रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को देयक पर 50 प्रतिशत डिस्काउन्ट अनिवार्य रूप से देगा।
29. निविदाकर्ता एवं मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, भोपाल के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद होने पर प्रबंध संचालक महोदय का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
30. दोनों पक्षों में किसी प्रकार के न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल होगा।
31. दोनों पक्षकार चार माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सकते है। यदि चार माह से कम समय का नोटिस देकर अनुबंध निरस्त किया जाता है तो सुरक्षा निधि राजसात कर ली जावेगी।
32. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रू 1.00 लाख (एक लाख मात्र) धरोहर राशि के रूप में 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जावेगी, इस पर ब्याज देय नही होगा।
33. इकाई प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक को रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा डिफाल्टर की स्थिति में या शर्तों के उल्लंघन या शर्तों का पालन न करने की स्थिति में अनुबंध को निरस्त किया जा सकेगा।

:

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का निविदा प्रपत्र

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल
तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रति,

प्रबंध निदेशक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता / संस्था का नाम : ....

2. पता : ....

....

....

3. दूरभाष क्रमांक : ....

मोबाईल : ....

4. अधिकृत व्यक्ति का नाम : ....

5. फर्म का प्रकार (प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी / पब्लिक लिमिटेड : ....

कम्पनी / साझेदारी फर्म / प्रोपराइटर फर्म) : ....

6. संचालक / साझेदार / मालिक का नाम : ....

7. बैंकर का नाम एवं पता : ....

8. (अ) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... राशि 2000 / —

(ब) बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .... दिनांक .... राशि 1.00 लाख

बैंक का नाम .... स्थान ....

9. सर्विस टैक्स पंजीयन क्रमांक ....

10. आयकर विभाग का पेन क्रमांक ....

11. फुड लाईसेन्स क्रमांकः— .... दिनांक ....

12. संस्था का स्थापना पंजीयनः— .... दिनांक ....

:

13. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्था के साथ किए गए कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
14. वेट टैक्स का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
15. विगत तीन वर्षो (2012–13, 2013–14 एवं 2014–2015) की (Balance Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न की जावे। संबंधित गतिविधियों का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख अथवा इससे अधिक होना चाहिए। अंतिम वर्ष 2014–2015 का टर्न ओवर प्रमाण पत्र चार्टड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
16. कम्पनी की दशा में मेमोरेण्डम Memorandum and Articles of Association संचालको की सूची, साझेदारी फर्म की दशा में साझेदारी प्रलेख व साझेदारी का विवरण दिया जावे।

संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1) ....
2) ....
3) ....
4) ....
5) ....
6) ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

<u>घोषणा</u>

1. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, वह सत्य है। यदि निविदा मेरे पक्ष में रही तो सूचना के मिलने के तुरन्त पश्चात निगम की इकाई में रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का आधिपत्य प्राप्त कर लूगाॅ / लूॅगी।
2. यदि मेरे द्वारा निविदा के नियम शर्तो का पालन नही किया जाता है, तो धरोहर राशि निगम को राजसात करने का पूर्ण अधिकार होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल का निविदा प्रपत्र

म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़, भोपाल

वित्तीय निविदा प्रपत्र

(बारह लाख वार्षिक से कम के प्रस्ताव स्वीकार्य योग्य नहीं होंगे)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.
पर्यटन भवन, भदभदा रोड़,
भोपाल (म.प्र.)

1. निविदाकर्ता/संस्था का नाम : ....

2. पता : ....

....

....

3. दूरभाष क्रमांक : ....

4. रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल किराये पर लिये जाने हेतु किराये की वार्षिक राशि

....

(शब्दों में)..(टैक्स अतिरिक्त)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

:

रेनबोट्रीट फूड कोर्ट शाहपुरा भोपाल को दस वर्षो के लिए किराये से दिये जाने हेतु निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथी एवं समय का विवरण

प्री बिड तिथी –	22.07.2015 समय अपरान्ह 3:00 बजे
निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथी –	28.07.2015 समय अपरान्ह 3:00 बजे
तकनीकी निविदा खोलने की तिथी–	28.07.2015 समय अपरान्ह 3:30 बजे

: